



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

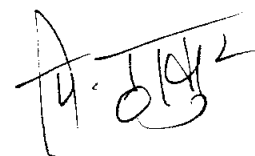
माननीय सांसद **Shri Ashok Siddharth** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **894** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	Zari Hussain	Sh. Abrar Hussain M- 8127958210	1	Madhupuri Fatehpur
2	Kaniska Gupta	Sh. Kapil Dev M- 9161616647	1	Gomti Nagar, Lucknow
3	Divyanshi	Sh. Rahul Kumar M- 9838110722	4	RRC Fatehgarh Farrukhabad
4	Yash Chaturvedi	Sh. Nirbhay Chaturvedi M- 9415222831	8	Aliganj, Lucknow
5	Mansi Singh	Sh. Sudesh Kumar M- 9792496811	9	RRC Fatehgarh Farrukhabad
6	Yusuf Vwais Khan	Sh. Vwais Khan M- 9415175806	6	Aliganj, Lucknow
7	Raghuraj Pratap Singh	Sh. Uday Pratap Singh M- 7844060001	1	Unnao, UP
8	Paranjay Chaudhari	Sh. Vijay Chaudhari M- 9451381346	6	RDSO, Lucknow
9	आस्था राठौर	श्री जगदीश सिंह M- 9795320117	7	RRC Fatehgarh Farrukhabad
10	अभिनव आर्या	श्री पंकज कुमार M- 9044110918	9	Raebareli

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:-

1. Shri Ashok Siddharth माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **LUCKNOW** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)